ब न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०

निगरानी 424-III-15

42
12-2-15

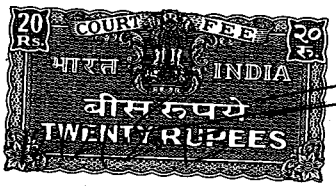

COURT FEE
20 Rs.
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

Rs.20/-

आनंद सिंह तिवारी तनय श्री शत्रुघ्न सिंह तिवारी साकिन पुरवा तहसील गुढ़ जिला रीवा म०प्र० ----- निगरानीकर्ता

बनाम

देववती बेवा पत्नी मनबोध सिंह तिवारी सा० पुरवा तह०गुढ़ जिला रीवा म०प्र० ---- गैरनिगरानीकर्ता

श्री ..... द्वारा आज दिनांक 12-2-15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर कलेक्टर साहब रीवा प्र०क्र० 29/121/2012-13 आदेश दिनांक 30/4/2013

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959ई०

क्रमांक 4585
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ..... को प्राप्त
23-2-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी के आधार निम्न लिखित है:-

(1) यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में मौजूद साक्ष्य का सही मूल्यांकन नहीं किया गया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

(3) यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस कानूनी बिन्दु पर विधिक विचार नहीं किया गया कि गैरनिगरानीकर्ता जिसके आवेदन पत्र पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई अपना प्रतिपरीक्षण पूर्ण कराये जाने व प्रति-परीक्षण में पूछे गये प्रश्नों का जवाब देने से मना कर दिया ऐसी स्थिति

-- निरन्तर 2पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी–424–तीन/2008 **जिला–रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–9–2015	आवेदक की ओर से श्री चक्रपाणि मिश्रा अभिभाषक उपस्थित । आवेदक अभिभाषक को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदक अभिभाषक द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि अनावेदिका के आवेदन पर तहसीलदार के यहां कार्यवाही प्रारंभ की गयी । कार्यवाही के दौरान अनावेदिका द्वारा स्वयं के कथन का प्रतिपरीक्षण कराये जाने एवं प्रतिपरीक्षण में पूछे गये प्रश्नों का जबाब देने से मना किया गया ऐसी दशा में अनावेदिका का कथन महत्वहीन हो जाता है । यह भी बताया गया कि आवेदक को अपना कथन प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं दिया गया । यह भी बताया गया कि उक्त तथ्य अपर कलेक्टर के समक्ष भी प्रस्तुत किए गये थे जिनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया और विधि विपरीत आदेश पारित कर दिया गया, जो निरस्त किए जाने योग्य है । उक्त तर्को के साथ अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के आदेश निरस्त करने तथा निगरानी ग्राह्य करने का निवेदन किया गया आवेदक अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत तर्को के कम में अपर कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक–30.4.113 का अवलोकन किया गया । जिसमें यह तथ्य प्रकट हो रहा है अनावेदिका द्वारा वर्ष 2006–07 में हुई ओलावृष्टि से फसल नष्ट होने के कारण मुआवजा प्रदाय करने हेतु आवेदन दिया गया था जिस पर से अनावेदिका को 29010/–रूपये मुआवजा राशि स्वीकृत हुई थी जिसका तहसीलदार द्वारा बियरर चेक कमांक–089821 दिनांक–21.5.07 को रूपये 29010/–का जारी कर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा गुंढ़ से दिनांक–4.7.07 को किसी फर्जी देववती को भुगतान करा दिया गया । जिसकी पहचान भुगतान के समय आवेदक द्वारा की गयी थी । अनावेदिका के आवेदन पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार द्वारा फर्जी देववती की पहचान करने के कारण उक्त भुगतान की गयी राशि की बसूली आवेदक से करने हेतु प्रतिवेदन प्रस्ताव दिनांक–3.7.09 से अनुविभागीय अधिकारी की ओर भेजा गया । तहसीलदार के उक्त प्रतिवेदन के विरूद्ध विविध प्रकरण अपर कलेक्टर के यहां प्रस्तुत किया गया, जहां तहसीलदार का प्रतिवेदन जो अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया था विधि संम्मत मानते हुए स्थिर रखा गया । अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश के पैरा कमांक–3 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत होने पर अनावेदिका के तर्क श्रवण किए गये तथा आवेदक के अभिभाषक तर्क के समय अनिुपस्थित रहे ऐसी स्थिति में प्रकरण आदेश हेतु नियत किया गया । उपरोक्त तथ्यों से यह प्रदर्शित हो रहा है कि आवेदक को अपना	

R. 424/DI/15

पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना दृष्टिगोचर हो रहा है । अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में प्रकरण की विस्तृत विवेचना कर आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो विधिसंम्मत प्रतीत होता है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक–30.4.13 स्थिर रखा जाता है । निगरानी अस्वीकार की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।

सदस्य